**संख्या-14/2025/27/60-1-2025**

**प्रेषक,**

**अशोक कुमार तिवारी,**
**संयुक्त सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**निदेशक,**
**महिला कल्याण,**
**उ0प्र0 लखनऊ।**

**महिला कल्याण अनुभाग-1** **लखनऊः:दिनांकः: 20 मार्च, 2025**

**विषयः- निदेशालय स्थित स्टेट डाटा मैनेजमेन्ट सेन्टर (एस0डी0एम0सी0) पर होने वाले समस्त व्ययों का भुगतान किशोर न्याय निधि मद से किये जाने के संबंध में।**

**महोदया,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2864/निदे0म0क0/प्रोबे0/एस0डी0एम0सी0/2024-25, दिनांक 06.02.2025 एवं पत्र संख्या-संख्या-3177/निदे0म0क0/प्रोबे0/2024-25, दिनांक 04.03.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय स्थित एस०डी०एम०सी० में स्थापित उपकरणों एवं जनपदों में स्थापित सी०सी०टी०वी०/बायोमैट्रिक्स डिवाइसों तथा मा० किशोर न्याय समिति, सचिवालय मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ में स्थापित उपकरणों पर हुए समस्त प्रकार के व्ययों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-05-किशोर न्याय निधि के मानक मद-42-अन्य व्यय में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 700.00 लाख (रूपये सात करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 2,68,57,286/- (रूपये दो करोड़ अड़सठ लाख सत्तावन हजार दो सौ छियासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 04.03.2024 का अनुपालन करना सुनिश्चत किया जायेगा।

(2) निर्धारित देयता का निर्धारण एवं औचित्य का परीक्षण निदेशक, महिला कल्याण द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।

(3) धनराशि के आहरण एवं व्यय से पूर्व निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वयं के स्तर से संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रश्नगत भुगतान की कार्यवाही का निर्णय स्वयं सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्तीय नियम एवं मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेश की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी निदेशक, महिला कल्याण की होगी।

(5) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए यथावश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की द्विरावृत्ति न हो।

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेग। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(9) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(10) उक्त धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने (एलाटमेंट) का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(12) धनराशि का निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र सरकार

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,68,57,286 (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख सत्तावन हजार दो सौ छियासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235021020500-किशोर न्याय निधि के मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-ई-4-269-X-2024-25, दिनांक 20.03.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय**

**(अशोक कुमार तिवारी)**
**संयुक्त सचिव**

**संख्या-14/2025/27(1)/60-1-2025, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (परीक्षा-लेखा), प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(अवनीश कुमार सिंह)**
**अनु सचिव**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।